-: सूचना :-

जोन 1. छोटा नहर से बस स्टैण्ड, आई.टी.आई. रोड, बस स्टैण्ड से एयर पोर्ट तक, 21 ब्लाक चौक से व्ही.आई.पी. रोड

जोन 2. शेष मार्ग

भवन वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें (प्रतिवर्ग फुट में)

죠.	निर्माण की गुणवत्ता	जोन-1		जोन-2	
1.	आर.सी.सी. आर.बी.सी. या पत्थर की छन	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	
	युक्त पक्के भवन				
अ.	ग्रेनाइट मार्बल फ्लोरिंग				
ब.	सामान्य फ्लोरिंग मोजाइक सहित	12.00	15.00	10.00	12,00
2.	सीमेन्ट लोहे की चादर युक्त अथवा कवेलू	10.00	12.00	8.00	10.00
	युक्त				10.00
3.	अन्य, आंशिक पक्के या कद्ये भवन जो	10.00	12.00	7.00	10,00
	उपरोक्त में नहीं आते है।	8.00	10.00	E 00	
-	भूमि (व्यवसायिक उ	पयोग के रिक भ	संदर्भ एव ।	5.00	8.00
-	विकसित		The second second		
	अविकसित	4.00	6.00	3,00	6.00
-		3.00	5.00		5.00

- 1. बहुमंजिला भवनों में वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में छूट: भुतल के निर्धारण दर में प्रथम तल की गणना हेतु 10 प्रतिशत कम, द्वितीय तल की गणना हेतु 15 प्रतिशत कम, तृतीय तल की गणना हेतु 20 प्रतिशत कम, भूगततल की गणना हेतु 10 प्रतिशत कम।
- 2. भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
- 3. स्वयं के निवास हेतु मात्र आवासीय भवन पर 50 प्रतिशत छूट।
- अन्य छूट नगर पालिका अधिनियम के तहत देय होगा। उपरोक्त छूट के पश्चात शुद्ध वार्षिक भाडा मूल्य आयेगा वह यदि 4800.00 रूपये तक हो कर मुक्त रहेगा।
- अ. वार्षिक भाड़ा मूल्य 4801.00 से 10,000.00 रूपये तक 6%
- ब. वार्षिक भाड़ा मूल्य 10,001.00 से 20,000.00 रूपये तक 7%
- स. वार्षिक भाड़ा मूल्य 20,001,00 से अधिक पर रूपये 10%

नोट:-

- संपत्तिकर की राशि समयावधि में जमा नहीं करने पर 10% अधिभार नगर पालिका अधिनियम के तहत देय होगा।
- पृथक-पृथक मकान के लिए पृथक-पृथक स्व-निर्धारण विवरणी फार्म भरना होगा।
- ऐसे भवन जिसमें आवास एवं व्यवसाय एक साथ हो 50% की छूट नहीं दिया जावेगा।
- 4. स्व-निर्धारण विवरणी फार्म शुल्क 5 रूपये देय होगा।
- 5. भवन स्वामी द्वारा अपनी संपत्ति का गलत विवरणी प्रस्तुत करने पर जांच के उपरांत भवन स्वामी से देय राशि के अंतर की राशि का पांच गुना अधिक आर्थिक दंड देय होगा।
- जिस भवन में पूर्व में संपत्तिकर निर्धारण हुआ है उसे बिक्री कर अन्य के नाम परिवर्तन करना चाहता है तो विवरणी फार्म में उस व्यक्ति का नाम उल्लिखित करें तथा साथ ही नामांतरण शुल्क 500/ - रूपये कार्यालय में जना करना होगा।
- 7. भवन में किरायेदार होने पर 50 प्रतिशत छूट देय नहीं होगा।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 की संपत्तिकर की राशि 31 मार्च 2011 तक जमा करना अनिवार्य होगा 31 मार्च 20111 के पश्चात जमा करने पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, माना केम्प